कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 953 /अलीगढ़/25541/2017, दिनांक, लखनऊ, ~~सितम्बर~~ 03/10/, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय : अलीगढ़ में पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग (एस0एच0–22ए) किमी0 73 चैनेज़ 72.800 की दायीं पटरी पर ग्राम–ल्होसरा बिसावन के खसरा सं0–141/ए पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपके कार्यालय का पत्रांक–933/14–1, दिनांक 20.09.2017
इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक–47/गाइडलाइन, दि0 07.07.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Detail पर प्रस्तावित वनभूमि की गणना, गैर वनभूमि की गणना, क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता, प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता, चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण–पत्र, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव विहार/सेंचुरी की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख अपलोड नहीं हैं। अपलोड करें।

2– प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु संलग्न वचनबद्धता में अंकित क्षेत्रफल 0.075028 हे0 के स्थान पर 0.053768 हे0 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। संशोधित करें एवं संशोधित वचनबद्धता ऑनलाइन भी अपलोड करें।

3– चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से नहीं बल्कि प्रभागीय निदेशक की ओर से संलग्न किया जाने वाला अभिलेख है। उक्त प्रमाण–पत्र में अंकित क्षेत्रफल 0.075028 हे0 के स्थान पर 0.037818 हे0 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। संशोधित करें एवं संशोधित प्रमाण–पत्र ऑनलाइन भी अपलोड करें।

4– लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति एवं अनुमोदित ले–आउट प्लान के प्रथम पैरा में प्रस्तावित स्थल किमी0 74 के चैनेज 73.800 की दायीं पटरी पर अंकित किया गया है किन्तु ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(2 व 3) में किमी0 73 के चैनेज 72.800 की दायीं पटरी पर अंकित किया गया है। इस विसंगति को स्पष्ट करते हुए संशोधित करें।

5– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए(3) पर श्री गुलशन सेठी, डिवीजनल मैनेजर को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है, किन्तु प्रस्ताव के साथ श्री गुलशन सेठी के साथ ही श्री अतुल कुमार की भी पावर आफ अटार्नी संलग्न की गयी है तथा कतिपय अभिलेखों पर प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से अलग–अलग अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से प्रस्ताव के साथ एक प्रमाण–पत्र संलग्न कराने का कष्ट करें तथा प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ उसके नाम व पदनाम सहित सील अंकित कराने का कष्ट करें।

6– प्रस्ताव के साथ संलग्न आफलाइन पार्ट–1 को प्रस्ताव से पृथक कर दें, इसकी आवश्यकता नहीं है।

7– उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर पेंसिल के स्थान पर पेन से कमवार पृष्ठ संख्या एवं तदनुसार विषय सूची को अपडेट करने का कष्ट करें।

Q

उक्त के अतिरिक्त पूर्ण एवं सुसंगत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनां 23.06.2017 द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देश इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त का भी संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को ऑनलाइन एवं आफलाइन पूर्ण कर त्रुटिरहित पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, अलीगढ़ को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, 2314, तृतीय तल टावर ए, द कोरिएन्थम, ए–41, से0–62, नोएडा(उ0प्र0) को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।